



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:-rvres.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक: एफ 1 (24) (12) लेखा / अनु. / आकाशि/ पार्ट 1/

दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.1(20)शिक्षा-4/1987 दिनांक 01.05.1989, पत्र क्रमांक एफ 3(8) शिक्षा-4/1998 दिनांक 19.5.2001 एवं कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 5(2)कार्मिक/क-2/10 जयपुर दिनांक 29.11.2010 के अन्तर्गत आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में की गई अनुशंषा के क्रम में निम्नलिखित RVRES व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

REVIEW CASES OF SELECTION SCALE OF RVRES LECTURERS					
S. No.	Name of Lecturer (Dr. Mr. Smt.)	Subject	D.O.B	Date of Selection Scale granted by the Aided Institution	Eligibility Date of Selection Scale
1	Arun Sinha	Economics	17-03-1960	19-07-2004	19-07-2004
2	Jitendra Singh Sisodiya	Sociology	25-12-1966	23-07-2006	23-07-2006
3	Narpat Singh	ABST	11-08-1959	01-04-2005	01-04-2005
4	Rajesh Choudhary	Pol. Science	10-07-1969	01-04-2008	01-04-2008
5	Sanjay Sharna	History	11-04-1965	29-07-2005	29-07-2005
6	Shashiprabha Saraswat	Hindi	05-03-1967	07-08-2004	04-08-2004
7	Sulekha Shekhawat	History	01-01-1958	01-11-2004	01-11-2004
8	Sunita Khunteta	Home Science	21-08-1970	26-07-2005	12-09-2006
9	V.K.Gaur	Bus. Admn.	01-07-1957	01-04-2004	01-04-2004
10	Vinod Kumar Gupta	ABST	17-05-1957	21-10-1993	10-03-1996

1. उक्त व्याख्याताओं को संशोधित चयनित वेतनमान का भुगतान किये जाने की स्थिति में वित्त विभाग (RULES DIVISION), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F14(1)FD/Rules/2009 Jaipur Dated- 19-09-2022 के अनुसार देय होगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों के सेवाभिलेख की जांच करते हुए नियमानुसार संशोधित वेतन स्थिरीकरण की समस्त कार्यवाही महाविद्यालय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अधिकारी।
8. वेबसाईट प्रभारी कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

आयुक्त
Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.24 19:58:23 IST
Reason: Approved

